

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व **मोय का खेड़ा**

भू अभिलेख निरीक्षक **चिताम्बा**

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

**भीलवाड़ा-करेड़ा** की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **कुपाड** पटवार हल्का **मोय का खेड़ा** तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बन्ध **2074-2077** में खाता संख्या **10** में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
02	कुपाड	10	पुष्प पि. भैरा	पुष्प ठर्फ सुरेश चन्द्र पुष्प पि. भैरा

**प्रभारी अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी  
**राजस्व अधिकारी**  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 30/11/21

क्रमांक/न्यायालय /2021/02

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री **पुष्प ठर्फ सुरेश चन्द्र पि. भैरा कुपाड**

**प्रभारी अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
**करेड़ा**

